संख्या-163/2017/2613/26-3-2017-100(115)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 की योजनाओं अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार व विकास हेतु वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-201/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-14.09.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 की सुसंगत लेखाशीर्षक-2225-02-796-14-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-41.57 लाख (रूपया इक्तालिस लाख सत्तावन हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह हेतु लेखानुदान के रूप में जारी धनराशि रूपये-17.32 लाख (रूपये सत्रह लाख बत्तीस हजार मात्र) को घटाते हुये अन्तिम 07 माह हेतु अवशेष धनराशि रूपये-24.25 लाख (रूपये चौबिस लाख पच्चीस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2)- उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3)-उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)-उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जो धनराशि अवशेष बचेगी उसे वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे. वर्गो का कल्याण- 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासो के सुधार व विकास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-ई-3-1185/दस-17, दिनांक-11.10.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
उपसचिव

पृ0संख्या-163/2017/2613(1)/26-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
6-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in